रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

कंपनी सचिवालय प्रभाग

सं. सेक-1/226/2008/ दिनांक: **2** जनवरी, **2009**

परिपत्र

विषयः- आरईसी इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के कोड के तहत ट्रेडिंग विंडो को बंद करने हेतु अधिसचूना

संदर्भ- दिनांक 8 मार्च, 2008 और 24 मार्च, 2008 का कार्यालय आदेश सं. एसईसी-1/226/2008/937एवं 971

अन्य बातों के साथ-साथ कारपोरेशन के 31दिसंबर, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए गैर लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए आरईसी के निदेशक मंडल की 345वीं बैठक कारपोरेशन के पंजीकृत कार्यालय में 27 जनवरी, 2009 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित की जाएगी ।

इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के कोड के अध्याय-VI के तहत खंड 6.1 और 6.2 के अनुसार एतद्द्वारा **यह अधिसूचित किया जाता है कि आरईसी इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग विंडो 12 जनवरी, 2009 से 28 जनवरी, 2009 (दोनों दिन शामिल हैं) तक की अवधि के दौरान बन्द रहेगी ।**

आरईसी इक्विवटी शेयर /प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो 29जनवरी, 2009 से खुल जाएगी ।

सभी निदेशकों/अधिकारियों/नामोद्दिष्ट कर्मचारियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ट्रेडिंग विंडो के बन्द रहने की उपर्युव्त अवधि के दौरान उन्हें किसी भी ऐसे लेन-देन, जिसमें आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद निहित है, के संबंध में कोई कार्रवाई करना मना है।

किसी भी ऐसे निदेशक, अधिकारी या नामोद्दिष्ट कर्मचारी, (जो उपर्युव्त कोड के तहत आते हैं), जो उपर्युव्त आचरण संहिता का उल्लंघन करता है, आरईसी इक्विटी के शेयरों/प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग करता है अथवा आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग के बारे में मूल्य संबंधी कोई संवेदनशील सूचना देता है, को उपर्युव्त कोड के अध्याय -IX के तहत दंडित किया जा सकता है ।

ह/-
(बी.आर. रघुनंदन)
महाप्रबंधक(विधि) और कंपनी सचिव एवं
कोड का अनुपालन अधिकारी

वितरणः
1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी के सभी अन्य निदेशक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी।
2. सभी कार्यकारी निदेशक एवं महाप्रबंधक ।
3. सभी आंचलिक प्रबंधक, परि. का. के मुख्य परि. प्रबंधक, अपर निदेशक, सायर ।
4 सभी अन्य कार्यपालक, गैर कार्यपालक एवं कोड में यथा परिभाषित आरईसी के नामोद्दिष्ट कर्मचारी ।
5. कारपोरेट आफिस, आंचलिक कार्यालय/परियोजना कार्यालय एवं सायर के सभी नोटिस बोर्ड ।
6. आरईसी के सांविधिक लेखा परीक्षक ।
7. उप महाप्रबंधक (आई.टी.), आरईसी को वेबसाइट पर डालने के लिए
8. उप प्रबंधक (राजभाषा)